रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122022-240976 CG-DL-E-10122022-240976

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 779] No. 779] नई दिल्ली, शनिवार, शनिवार, 10, 2022/अग्रहायण 19, 1944 NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10, 2022/AGRAHAYANA 19, 1944

वित्त मत्रांलय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 9 दिसम्बर. 2022

सं. 103/2022-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का. नि. 873 (अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इसके एतद्वारा एक्सपोर्ट बाई पोस्ट रेगुलेशन्स, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1 लघु शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों को डाक द्वारा निर्यात (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जायगा।

- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. एक्सपोर्ट बाई पोस्ट रेगुलेशन्स, 2018 (इसके बाद इन विनियमों को उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) के, विनियम 3 में, उप-विनियम (1) में, "इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाता हो" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 3. उक्त विनियमों में, संलग्न प्रपत्रों को निम्नलिखित प्रपत्रों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु: -

8229 GI/2022 (1)

" पोस्टल बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट -I (पी बी ई- I)

(देखें विनियमन 4)

(ई-कॉमर्स के माध्यम से माल के निर्यात के लिए)

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

बिल ऑफ़	विदेशी डाक घर का कोड	निर्यातक का नाम	निर्यातक का पता	आई	राज्य	जी. एस. टी	ए डी	अधिकृत एजेंट का	ा विवरण
एक्सपोर्ट की संख्या और दिनांक				ई सी	का कोड	आइ एन या जो भी लागू हो)	कोड (यदि लागू हो)	सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस संख्या	नाम और पता
								(1941	
			घोषणा						हां/नहीं के रूप में उपयुक्त
1.		ति प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ का द	ावा करना चाहते हैं						
	(क) प्रतिअदायगी (ख) कोई अन्य योजना								
2.	हम घोषणा करते हैं कि हम आई	जी एस टी एक्ट की धारा 16 के तहत अ	पने निर्यात को शून्य दर रखेंगे						
3.	हम घोषणा करते हैं कि माल को	सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/	आईजीएसटी एक्ट्स के अंतर्गत छूट प्राप्त है						
हम घोषणा करते	हैं कि निर्यात के इस पोस्टल बिल अ	ॉफ़- एक्सपोर्ट में दिए गए सभी विवर	ण हर दृष्टि से सत्य और सही है।						

हम भाषणा भरत है। भागपात के इस भारत्या विशे आक्षेत्र- एक्सपाट में विदे गेए समा विभरण हर दृष्टि से सत्य और सहा ह

(निर्यातक/प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर)

परीक्षण आदेश और रिपोर्ट

लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर: सीमा शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर और तारीख के साथ।

							पार्सल का वि	त्ररण						
क्र.सं.	कन्साइनी क	ा विवरण		7	उत्पाद का विवरण		पार्सल	का विवर	ण			इ -व्यापार	र ब्यौरे	
नहीं	नाम और पता	गंतव्य देश	विवरण सीटीएच मात्रा इकाई संख्या (नग, लीटर , किलोग्राम , मीटर)				इनवॉइस नम्बर तथा दिनांक	वज़न सकल	निवल	ई-कॉमर्स ऑपरेटर का जी. एस. टी आइ एन	यूआरएल (नाम) का वेबसाइट	भुगतान लेन - देन पहचान संख्या	एसकेयू संख्या	डाक ट्रैकिंग संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

सीमा	'शुल्क अधिनि निर्धाः	ोयम की धारा ' एण योग्य मूल्य	4 के तहत	कर इ	नवॉइस या वाणि विव (जो भी	रण	इस का					शुल्क/	कर का विव	रण			कुल	г
एफ. ओ. बी	मुद्रा	विनिमय दर	राशि भारतीय रुपये में	एच एस कोड	इनवॉइस इनवॉइस संख्या तथा दिनांक	का विवरण इनवॉइ के मद की	मूल्य	मूल्य सीमा शुल्क जीएसटी का विवरण निर्यात शुल्क उपकर आई जी एस टी छतिपूर्ति उपकर एलयूटी/ (यदि पिट पिट लागू) बॉन्ड का विवरण (यदि लागू)						शुल्क	उपकर			
16	17	18	19	20	21	क्र.सं. 	23	दर 24	राशि 25	दर 26	राशि 27	दर 28	राशि 29	दर 30	राशि 31	(याद लागू)	33	34

पोस्टल बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट -।। (पी बी ई- ॥)

. (देखें विनियमन 4) (*दो प्रतियों में प्रस्तुत करें*)

			(41 410141 11 4180	" '/											
बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट की संख्या और दिनांक	विदेशी डाक घर का कोड	निर्यातक का नाम	निर्यातक का पता	आई ई सी	राज्य का कोड	जी. एस. टी आइ एन या जो भी लागू हो)	ए डी कोड (यदिलागू हो)	अधिकृत एजेंट क सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस संख्या	ा विवरण नाम औरपता						
	घोषणा														
1	घोषणा 1 हम घोषणा करते हैं कि हम निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ का दावा करना चाहते हैं (क) प्रतिअदायगी (ख) कोई अन्य योजना														
2	हम घोषणा करते हैं कि हम आई जी एस टी	एक्ट की धारा 16 के तहत अपने निर्यात क	ो शून्य दर रखेंगे												
3	हम घोषणा करते हैं कि माल को सीजीएसर्ट	ो/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/आईजीएसटी ए	एक्ट्स के अंतर्गत छूट प्राप्त है												
(निर्यातक/प्र	ा करते हैं कि निर्यात के इस पोस्टल बिल ऑ धिकृत एजेंट के हस्ताक्षर)	फ़- एक्सपोर्ट में दिए गए सभी विवरण ह	हर दृष्टि से सत्य और सही है।												
पराक्षण अ	ादेश और रिपोर्ट														

लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर: सीमा शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर और तारीख के साथ।

					,	पार्सल का विवरण							
कुत्त	साइनी का विवरण		उत्पाद	का विवरण		पार्सल का	ा विवरण		डाक ट्रैकिंग नंबर	सीमा	गुल्क अधिनियम	न की धारा 14 के तह मूल्य	त निर्धारण योग्य
नाम और पता	गंतव्य देश	विवरण	सीटीएच	मात्रा इकाई (नग, लीटर , किलोग्राम , मीटर)	संख्या	इनवॉइस नंबर तथा दिनांक	वज़न सकल	निवल		एफ. ओ. बी	मुद्रा	विनिमय दर	राशिभारतीय रुपये में
1	2	3	4	5	6	7	8		10	1 1	12	13	14

कर इ (जो भी लाग्	इनवॉइस या वाणिजि रूहो)	यक इनवॉइस कार्रि	वेवरण						शुल्क/कर का वि	वेवरण				
एच एस	इनवॉइस	का विवरण	मूल्य		सीमा	शुल्क				जी ए वि	स टी का वरण		कुल	
	इनवॉइस संख्या तथा दिनांक	इनवॉइ के मद की क्र.सं.		निय	ति शुल्क		उपकर	आई जी	एस टी (यदि लागू)	छतिपूर्ति ला	उपकर (यदि गू)	एलयूटी/बॉन्ड का विवरण(यदि लागू)	शुल्क	उपकर
				दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29".

[फा. सं. 476/3/2018-एलसी] अनंत राधाकृष्णन, उपसचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना सं. 48/2018-सीमा शुल्क (एनटी), दिनांक 4 जून, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में *सा.का.नि.* 525(अ), दिनांक 4 जून, 2018 में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi,the 9th December, 2022

No. 103/2022-Customs (N.T.)

- G.S.R. 873(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 84 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations to amend the Exports by Post Regulations, 2018, namely: -
- **1. Short title and commencement. -** (1) These regulations may be called the Exports by Post (Amendment) Regulations, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Exports by Post Regulations, 2018 (hereinafter in these regulations referred to as the said regulations), in regulation 3, in sub-regulation (1), for the words "international credit and debit cards and as specified", the words "various electronic means and in accordance with the guidelines issued" shall be substituted.
- 3. In the said regulations, the appended forms shall be substituted with the following forms, namely: -

"Postal Bill of Export - I (PBE-I) (see regulation 4) (For export of goods through E-Commerce) (To be submitted in duplicate)

Bill of	Foreign Post office code	Name of Exporter	Address of Exporter	IEC	State	GSTIN or as	AD code (if	Details of	Authorised Agent			
Export	Poteigh Post office code	Name of Exporter	Address of Exporter	ille	code	applicable	applicable)	Details of A	Tuttionsed Agent			
No. and						11	11 /	Customs	Name and address			
date.								Broker License				
								No.				
									Yes/No as			
	Declarations We declare that we intend to claim rewards under export promotion Scheme (a) Drawback (b) Any other Scheme											
1.	We declare that we intend to clair											
			(b) Any other Scheme									
2.	We declare that we intend to zero	rate our exports under section 16 c	f IGST Act.									
3.	We declare that the goods are exe	mpted under CGST/SGST/UTGST	/IGST Acts.									
We hereby	declare that the contents of this pos	stal bill of export are true and corre	ct in every respect.									
(Signature	of the Exporter/ Authorised agent)											
Examination	on order and report											
					Let Ex	port Order: Signatu	ire of officer of Cust	oms along wit	h stamp and date.			

							Details of p	parcel						
Sl. No.	Consignee	details			Product details		Details	of Parce				E -comn particu		
	Name and	Country of destination	Description				Invoice no.and	Weigh		GSTIN of E- commerce	URL (Name) of website	Payment transaction ID	SKU	Postal tracking
	Address				Unit (pieces, litres, kgs., meters)	Number	l -	Gross	net	operator			No.	number
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

8229 GI/2022 (1)

Asse		ue under sect the stoms Act	ion 14 of	in	Details of Ta comm voice (which	ercial						Deta	nils of duty tax	<i>i</i> /			To	otal
FOB	Currency	Exchange rate	Amount in INR	H.S code	Invoice	details	value								GST details			
					invoice no.and date	Sl. No. of item in invoic		Export duty Cess				ST (if licable)		npensation cess pplicable)	LUT/ bond details (if applicable)	Duties	Cess	
						e		rate	amount	rate	amount	rate	amoun t	rate	amount			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

Postal Bill of Export - II (PBE-II)

(see regulation 4) (To be submitted in duplicate)

Bill of Export	Foreign Post office code	Name of Exporter	Address of Exporter	IEC	State code	GSTIN or as applicable	AD code (if applicable)	Details of Aut	horised Agent					
No. and date.								Customs Broker LicenseNo.	Name and address					
	Peclarations Declarations We declare that we intend to claim rewards under export promotion Scheme (a) Drawback													
1														
	We declare that we intend to claim rewards under export promotion Scheme (a) Drawback (b) Any other Scheme													
2	We declare that we intend to zero ra	ate our exports under section 16 of I	GST Act.											
3	We declare that the goods are exem	upted under CGST/SGST/UTGST/IC	ST Acts.											
We here	by declare that the contents of this po	stal bill of export are true and correc	t in every respect.						•					
(Signatu	re of the Exporter/ Authorised agent)													
Examina	ation order and report													
					Let Export	t Order: Signature	of officer of Custo	ms along with stan	np and date.					

					Ι	Details of parcel							
Cor	nsignee details		Produ	ict details		Details	of Parcel		Postal tracking number	Assessal	ole value und	er section 14 of th	e Customs Act
Name and Address	Country of destination	Description	CTH	Quantity			Weight			FOB	Currency	Exchange rate	Amount in INR
Address				Unit (pieces, liters, kgs., meters)	Unit Number pieces, liters,		Gross	Net					
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14

	Tax invoice or cor r applicable)	ommercial invoic	e						Details of dut	ty/ tax				
H.S	Invoice	details	value		Custom	s duties				GST	details		Total	
code	invoice no. and date	Sl. No. of item in invoice		Exp	oort duty		Cess	IGST (if applicable)		nsation cess (if plicable)	LUT/ bond details (if applicable)	Duty	Cess
		mvoice		rate	amount	rate	amount	rate	amount	rate	amount			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29".

[F. No. 476/3/2018-LC]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.

Note: - The principal notification No. 48/2018-Customs (N.T.), dated the 4th June, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 525(E), dated the 4th June, 2018.